

प्रेषक,

अरबिन्द कुमार गौतम,
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), बहराइच।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बहराइच।

विषय-

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं०-9691/IV-F-82(Pension)/Admin(A)
Dated जुलाई 16, 2024 के अनुक्रम में उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं०-
14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 के तहत
पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उ०प्र० न्यायिक सेवा में उ०प्र० शासन के नियुक्ति आदेश उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग-4 सं०-2430/दो-4-06-32 (1)/2001 टी०सी०-1 लखनऊ दिनांक 26 मई 2006 द्वारा हुई थी। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन सं०-1233/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक 16.06.2006 को जनपद कुशीनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कुशीनगर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उ०प्र० न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु दिनांक 15.11.2003 को विज्ञापन सं०- A-2/ई-1/2003 दिनांकित 15.11.2003 जारी हुआ था। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है। तदनुसार प्रार्थी शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

AMRAICH JUDGESHIP

No. 1299-I-18-24 Date 26-07-2024

Forwarded

सादर।
A. Gautam
26/7/24
District Judge
Bahrain

दिनांक: 26.07.2024

भवदीय

A. Gautam
26-7-24
(अरबिन्द कुमार गौतम)

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), बहराइच।
आई०डी०-यू०पी० 6454

संलग्नक:-पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र।

विकल्प पत्र

1. नाम अरबिन्द कुमार गौतम (ARBIND KUMAR GAUTAM)
2. वर्तमान पदनाम चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), बहराइच
3. वेतनमान 163030/-(144840-194660 Level-5)
4. वर्तमान विभाग का नाम उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम उ०प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद
नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु
विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग
का नाम
6. विज्ञप्ति की तिथि 15.11.2003 (विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि 26.05.2006 (उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग-4 सं० 2430/दो-4-
06-32 (1)/2001 टी०सी०-1 लखनऊ दिनांक 26 मई 2006)
8. योगदान की तिथि 16.06.2006 (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन
सं०-1233/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में)
9. जन्म तिथि 08.01.1971
10. सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2031

मैं अरबिन्द कुमार गौतम पुत्र श्री रामगति प्रसाद शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर A.K. Gautam 26-7-24

नाम अरबिन्द कुमार गौतम

पदनाम चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), बहराइच।
आई०डी० संख्या-यू०पी० 6454

घोषणा पत्र

मैं अरबिन्द कुमार गौतम पदनाम चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), बहराइच यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर A.K. Gautam 26-7-24

नाम अरबिन्द कुमार गौतम

पदनाम चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), बहराइच।
आई०डी० संख्या-यू०पी० 6454

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री अरबिन्द कुमार गौतम पदनाम चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), बहराइच को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति